न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 310/2023(जी.सी.एम.एस. 2023/445)

वादीगण	बनाम प्रतिवादीगण
1. गुरमन सिंह पुत्र पलविन्द्र सिह जाति जटसिख निवासी 21 एच तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर। 2. हरजिन्द्र सिह पुत्र सतवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 21 एच तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।	1. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। 2. प्रगट सिंह पुत्र गुलाब सिंह जाति जटसिख निवासी 21 एच तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर। 3. केहर सिह पुत्र हरी सिंह जाति जटसिख निवासी 21 एच तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर। 4. दलीप सिंह पुत्र मोहर सिंह जाति जटसिख निवासी 21 एच तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर। 5. रणजीत सिंह पुत्र बलविन्द्र सिह जाति जटसिख निवासी 21 एच तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर। 6. रणजीत सिंह पुत्र गुलाब सिंह जाति जटसिख निवासी 21 एच तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर। 7. संता सिंह पुत्र गुलाब सिंह जाति जटसिख निवासी 21 एच तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 15.12.2023

उपस्थितः1. श्री मनीष कुमार जागिंड अधिवक्ता वादीगण

——निर्णय—— दिनांकः

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 21 एच, पटवार मण्डल 8 वीं, की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 15/4, 18/9, 45/6, 98/90, 47/5 में वर्णित भूमि राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम से अन्य खातेदारान के साथ संयुक्त रूप में दर्ज है। राजस्व अभिलेख में वादीगण अन्य खातेदारान के साथ संयुक्त दर्ज है और उसका आज तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। उक्त कृषि भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपनी सुविधाओ के अनुसार एवं आपसी मौखिक बंटवारा के अनुसार काबिज काश्त है। वादी संख्या 1 गुरमन सिंह का कब्जा काश्त चक 21 एच के मुरब्बा नं0 34 के किला नं0 5 के 0.127 हैक्टर, 6 के 0. 253 हैक्टर, 11 के 0.227 हैक्टर, 15, 16, 17, 18, 19 प्रत्येक के 0.253 हैक्टर, 20 के 0. 235 हैक्टर, 21 के 0.208 हैक्टर, 22 के 0.227 हैक्टर, 23, 24, 25 प्रत्येक के 0.228 हैक्टर कुल 3.226 हैक्टर नहरी कृषि भूमि एवं मुरब्बा नं0 70/18 के 0.051 हैक्टर खाला एवं मुरब्बा नं0 70/35 के 0.076 हैक्टर खाला भूमि पर है तथा वादी संख्या 2 हरजिन्द्र सिंह का कब्जा काश्त चक 21 एच के मुरब्बा न0 34 के किला नं0 7, 8 प्रत्येक के 0.253 हैक्टर, 9 के 0. 226 हैक्टर, 11 के 0.013 हैक्टर, 12, 13, 14 प्रत्येक के 0.253 हैक्टर, 20 के 0.010 हैक्टर, 21 के 0.009 हैक्टर कुल 1.423 हैक्टर नहरी कृषि भूमि पर है। इस प्रकार से उपरोक्त वर्णित मुरब्बाजात के किलाजात पर वादीगण का कब्जा काश्त काफी समय से निरंतर, निर्बाध, शांतिपूर्वक चला आ रहा है, लेकिन वादीगण का उक्त रकबा संयुक्त खाता में अंकित होने के कारण वादीगण को हर समय भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादीगण खाता विभाजन हेतु वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे है। वादीगण ने आज से 5 रोज पूर्व प्रतिवादी को उक्त आराजी का हिस्सानुसार किलावाईज विभाजन करने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर चक 21 एच, पटवार मण्डल 8 वीं, की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 15/4,

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

18/9, 45/6, 98/90, 47/5 में वादीगण के नाम दर्ज भूमि का खाता विभाजन हेतु तहसीलदार राजस्व, श्रीकरनपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वादी संख्या 1 गुरमन सिंह को चक 21 एच के मुरब्बा नं0 34 के किला नं0 5 के 0.127 हैक्टर, 6 के 0.253 हैक्टर, 11 के 0.227 हैक्टर, 15, 16, 17, 18, 19 प्रत्येक के 0.253 हैक्टर, 20 के 0.235 हैक्टर, 21 के 0.208 हैक्टर, 22 के 0.227 हैक्टर, 23, 24, 25 प्रत्येक के 0.228 हैक्टर कुल 3.226 हैक्टर नहरी कृषि भूमि एवं मुरब्बा नं0 70/18 के 0.051 हैक्टर खाला एवं मुरब्बा नं0 70/35 के 0.076 हैक्टर खाला भूमि एवं वादी संख्या 2 हरजिन्द्र सिंह को_चक 21 एच के मुरब्बा न0 34 के किला नं0 7, 8 प्रत्येक के 0.253 हैक्टर, 9 के 0.226 हैक्टर, 11 के 0.013 हैक्टर, 12, 13, 14 प्रत्येक के 0.253 हैक्टर, 20 के 0.010 हैक्टर, 21 के 0.009 हैक्टर कुल 1.423 हैक्टर नहरी कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर अलग से खाता व लगान अलग से कायम किया जावे

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र व काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादीगण अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि चक 21 एच, पटवार हल्का 8 वीं, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 15/04 के मुरब्बा नम्बर 34 की कुल 0.823 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 18/09 के मुरब्बा नम्बर 34 की कुल 0.127 हैक्टेयर, खाता संख्या 45/06 के मुरब्बा नम्बर 34 की कुल 0.632 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 98/90 के मुरब्बा नम्बर 34 की कुल 2.972 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 47/05 के मुरब्बा नम्बर 34, 70/18, 70/35 की कुल 1.771 हैक्टेयर भूमि में वादी संख्या 1 गुरमन सिंह के नाम 3.353 हैक्टेयर भूमि व वादी संख्या 2 के नाम 1.423 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादीगण के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

4. बहस वादीगण अधिवक्ता सुनी गई, बहस के दौरान वादीगण अधिवक्ता ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस वादीगण अधिवक्ता व तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

5. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि चक 21 एच, पटवार हल्का 8 वीं, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 15/04 के मुरब्बा नम्बर 34 की कुल 0.823 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 18/09 के मुरब्बा नम्बर 34 की कुल 0.127 हैक्टेयर, खाता संख्या 45/06 के मुरब्बा नम्बर 34 की कुल 0.632 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 98/90 के मुरब्बा नम्बर 34 की कुल 2.972 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 47/05 के मुरब्बा नम्बर 34, 70/18, 70/35 की कुल 1.771 हैक्टेयर भूमि में वादी संख्या 1 गुरमन सिंह के नाम 3.353 हैक्टेयर भूमि व वादी संख्या 2 के नाम 1.423 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
गुरमन सिंह पुत्र पलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 21 एच तहसील श्रीकरनपुर (3.353 हैक्टेयर)	21 एच	34	5	0.127 हैक्टेयर	नहरी	1.05
			6	0.253 हैक्टेयर	नहरी	2.10
			11	0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.88
			15 ता 19	1.265 हैक्टेयर	नहरी	10.50
			20	0.235 हैक्टेयर	नहरी	1.95
			21	0.208 हैक्टेयर	नहरी	1.73
			22	0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.88
			23	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.89
			24	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.89
			25	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.89
		70/18		0.051 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00
		70/35		0.076 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00
2 हरजिन्द्र सिह पुत्र सतवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 21 एच तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर। (1.423 हैक्टेयर)	21 एच	35	7,8	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.20
			9	0.126 हैक्टेयर	नहरी	1.05
			11	0.013 हैक्टेयर	नहरी	0.11
			12,13,14	0.759 हैक्टेयर	नहरी	6.30
			20	0.010 हैक्टेयर	नहरी	0.08
			21	0.009 हैक्टेयर	नहरी	0.07

खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 15.02.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)
गुरमन सिंह आदि बनाम राजस्थान सरकार आदि
धारा अन्तर्गत 53, 88 आरटीए मुकदमा नम्बर 310/2023
निर्णय दिनांक :- 15.02.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी ... अधिवक्ता श्री मनीष कुमार जांगिड़** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 21 ... पटवार हल्का 8 बी, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में ... जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 15/04 के मुरब्बा नम्बर 34 की कुल 0.823 हैक्टेयर ... खाता संख्या 18/09 के मुरब्बा नम्बर 34 की कुल 0.127 हैक्टेयर, खाता संख्या 45/06 के मुरब्बा नम्बर 34 की कुल 0.632 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 98/90 के मुरब्बा नम्बर 34 की कुल 2.972 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 47/05 के मुरब्बा नम्बर 34, 70/18, 70/35 की कुल 1.771 हैक्टेयर भूमि में वादी संख्या 1 गुरमन सिंह के नाम 3.353 हैक्टेयर भूमि व वादी संख्या 2 के नाम 1.423 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	गुरमन सिंह पुत्र पलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 21 एच तहसील श्रीकरनपुर (3.353 हैक्टेयर)	21 एच	34	5	0.127 हैक्टेयर	नहरी	1.05
				6	0.253 हैक्टेयर	नहरी	2.10
				11	0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.88
				15 ता 19	1.265 हैक्टेयर	नहरी	10.50
				20	0.235 हैक्टेयर	नहरी	1.95
				21	0.208 हैक्टेयर	नहरी	1.73
				22	0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.88
				23	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.89
				24	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.89
				25	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.89
			70/18		0.051 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00
			70/35		0.076 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00
2	हरजिन्द्र सिंह पुत्र सतवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 21 एच तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर। (1.423 हैक्टेयर)	21 एच	35	7,8	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.20
				9	0.126 हैक्टेयर	नहरी	1.05
				11	0.013 हैक्टेयर	नहरी	0.11
				12,13,14	0.759 हैक्टेयर	नहरी	6.30
				20	0.010 हैक्टेयर	नहरी	0.08
				21	0.009 हैक्टेयर	नहरी	0.07

शेष खाता बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।
आज दिनांक 15.02.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	200	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	204	00	योग	00	00

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

दिनांकः 15.02.2024

क्रमांकः रीडर/ 2024/44

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}

सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी

श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी

श्री करणपुर